

28/3/19

एस.डी.ओ.

वकील अपीलान्त व अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पत्रावली आज पेश की गयी। अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इनके रेट्रोस्पेक्टिव गैर सजा के लिए लोक अदालत की भावना से राजीनामा दे चुका है एवं आपस में पारिवारिक रिश्ते होने से अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं और अपील विह्वल करना चाहते हैं।

विह्वल प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील खारिज करने का आदेश फरमावे। अपीलान्त श्री भागीरथ उप. आमा जिस की पहचान इनके अधिकार का श्री हरीशम बिश्नोई द्वारा की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा रहा है और अपील खारिज विह्वल प्रार्थना पत्र इसी तिर पर रजिस्ट्रार की जाती है। पत्रावली फंसल गुमार होकर नम्बर से कस करते हुए दाखिल देफतर हो।

मिनरल H15
 28/3/19



उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर



Web Official